झारखंड-सरकार
माध्यमिक शिक्षा निदेशालय

प्रेषक,

निदेशक,
माध्यमिक शिक्षा, झारखंड, राँची ।

सेवा में,

सचिव,
सी0बी0एस0ई0नई दिल्ली ।

राँची, दिनांक - 17.12.04

विषय:- झारखंड राज्य के अन्तर्गत संचालित निजी विद्यालय को सी0 बी0एस0ई0, नई दिल्ली से संबंधन हेतु अनापत्ति प्रमाण-पत्र निर्गत करने के संबंध में ।

महाशय,

उपर्युक्त विषय पर विभागीय पत्रांक-2957 दिनांक-6.12.2004 को रद्द करते हुए निदेशानुसार कहना है कि मानव संसाधन विकास विभाग झारखंड सरकार के द्वारा विचारोपरान्त राज्य के अन्तर्गत संचालित सच्चिदानन्द ज्ञान भारती मॉडेल स्कूल, कुसई, डोरन्डा, राँची को सी0बी0एस0ई0, नई दिल्ली से सम्बद्धता हेतु नीचे अंकित शर्तों एवं बन्धेजों के अधीन अनापत्ति प्रमाण-पत्र निर्गत करने का निर्णय लिया गया है ।

1. विद्यालय के सभी अप्रशिक्षित शिक्षकों को दो वर्ष के अन्दर प्रशिक्षित करा लिया जायेगा ।

2. विद्यालय प्रबन्धन द्वारा 60×60= 3600 वर्गफीट का एक हॉल का एक हॉल एक वर्ष के अन्दर निर्माण करा लिया जायगा ।

3. झारखंड सरकार द्वारा समय-समय पर विद्यालय से संबंधित जो भी नियम/परिनियम विद्यालय के लिये बनाये जायेंगे, उनका अक्षरशः पालन विद्यालय द्वारा किया जायेगा एवं मानक सेवा शर्त्त नियमावली को ~~अक्षरशः~~ अंगीकृत करेगा एवं गुणवत्तायुक्त पठन-पाठन का कार्य सुनिश्चित करने के लिये राज्य सरकार द्वारा दिये गये अनुदेशों का अनुपालन करेगा ।

4. विद्यालय में उपकरण तथा पुस्तकालय में जो भी कमी सरकार के द्वारा बतायी जायेगी उसे छः माह के अन्दर विद्यालय द्वारा पूरा कर लिया जायेगा ।

5. निर्धारित मानक से कम भूमि को विद्यालय द्वारा छः माह से एक वर्ष के अन्दर विद्यालय के द्वारा विद्यालय के आस-पास की जमीन/लीज पर ले ली जायेगी ।

6. विद्यालय के द्वारा शिक्षकों के वेतन का भुगतान अगले माह से चेक के माध्यम से भुगतान करने की प्रक्रिया शुरु कर दी जायेगी ।

उपर्युक्त शर्त्तों एवं बन्धेजों के अतिरिक्त विभागीय आदेश सं0-1055 दिनांक-5.9.2001 के आलोक में निम्नांकित शर्त्तों एवं बन्धेजों का अनुपालन करना अनिवार्य होगा:-

कृ0पृ0उ0

Sumita Sen.
PRINCIPAL
SACHIDANAND GYAN BHARTI
MODEL SCHOOL

Sachidanand Gyan Bharti Trust
Managing Trustee

विद्यालय का वार्षिक बचत आय 10 प्रतिशत से अधिक नहीं हो ताकि यह प्रमाणित हो सके कि विद्यालय लाभ अर्जित करने के उद्देश्य से स्थापित नहीं किया गया है । कुल आय का 10 प्रतिशत जो बचत होगी उसका उपयोग भी विद्यालय के विकास में किया जायेगा । विद्यालय में कार्यरत सभी कर्मियों को कम से कम राज्य सरकार में कार्यरत समकक्ष कर्मियों को देय वेतन एवं भत्ते के बराबर भुगतान करना होगा ।

2. विद्यालय को किसी प्रकार का अनुदान नहीं दिया जायेगा ।

3. विद्यालय को शहरी क्षेत्र में 2½(दो½) एकड़ एवं ग्रामीण क्षेत्र में 4½(चार½) एकड़ भूमि विद्यालय के नाम से निर्बाधित या कम से कम 30½(तीस½) वर्षों के निर्बाधित पट्टा/लीज पर होना चाहिये । यदि भविष्य में जाँचोपरान्त भिन्न स्थिति पाई जायेगी तो अनापत्ति प्रमाण-पत्र वापस लेने का अधिकार सरकार को सुरक्षित होगा ।

4. विद्यालय में हिन्दी भाषा की पढ़ाई अनिवार्य रूप से होनी चाहिये ।

5. नामांकन हेतु किसी प्रकार का डोनेशन या कैपिटेशन फीस नहीं लिया जायेगा ।

6. गरीबी रेखा के नीचे के छात्र/छात्राओं का 10 प्रतिशत सीट नामांकन के लिये सुरक्षित होगा साथ ही सामान्य शुल्क का 50 प्रतिशत शुल्क लिया जायगा ।

7. विद्यालय का कार्यकलाप राष्ट्र के हित में होना चाहिये । ~~विद्यार्थियों~~ विद्यार्थियों में राष्ट्रीयता का संचार, नैतिक तथा राज्य के सांस्कृतिक मूल्यों, ऐतिहासिक, भौगोलिक, वैज्ञानिक ज्ञानवर्द्धक, शारीरिक एवं व्यक्तित्व विकास हेतु सकारात्मक प्रयास करना होगा ।

8. विद्यालय में छात्रों की समुचित संख्या एवं उसके अनुपात में शिक्षक होना चाहिये ।

9. विद्यालय में नामांकन प्रक्रिया, कर्मियों की संख्या, योग्यता एवं निर्धारित प्रशिक्षण आदि में समय-समय पर राज्य सरकार समीक्षोपरान्त संशोधन कर सकेगी ।

10. विद्यालय संचालन हेतु गठित नियमावली के आधार पर गठित शासी निकाय के ~~x~~ सदस्यों की कार्यावधि पूर्ण होने पर सदस्यों की सूची जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय में जमा करना होगा ।

11. राज्य/केन्द्र सरकार द्वारा प्रायोजित विभिन्न प्रकार के एक्सटेन्सन प्रोग्राम तथा एन0सी0सी0, एन0एस0एस0, स्काउट एवं गाईड आदि को सुचारु रूप से करना होगा ।

12. यदि कोई संस्था पूर्व से किसी बोर्ड से सम्बद्धता प्राप्त हो तो विभागीय परिपत्र संख्या- 1055 दिनांक-5.9.2001 के अनुसार शर्तों का पालन करना होगा अन्यथा अनापत्ति प्रमाण-पत्र वापस लेने का ~~x~~ सर्वाधिकार राज्य सरकार में सुरक्षित होगा ।

13. उपर्युक्त ~~xx~~ शर्तों एवं बन्धेजों का अनुपालन न करने की स्थिति में राज्य सरकार को अनापत्ति प्रमाण-पत्र रद्द करने का अधिकार होगा ।

कृ0पृ030

Sumita Sen.
PRINCIPAL
SACHIDANAND GYAN BHARTI
MODEL SCHOOL

Sachidanand Gyan Bharti Trust
Managing Trustee

14. अनापत्ति प्रमाण-पत्र के लिये विद्यालय द्वारा समर्पित कागजातों एवं अभिलेखों का जाली या वास्तविक स्थिति से भिन्न पाया जाय या विद्यालय द्वारा राष्ट्र या राज्य हित के विरुद्ध किया जा रहा हो या ऐसा कार्य जिससे सामाजिक कटुता फैलता हो तो सरकार निर्गत अनापत्ति प्रमाण-पत्र को वापस ले सकती है ।

15. विद्यालय द्वारा उपर्युक्त शर्त्तों एवं बन्धेजों का अनुपालन किया जा रहा है अथवा नहीं इसकी जाँच समय-समय पर मानव संसाधन विकास विभाग, झारखंड के सक्षम पदाधिकारी द्वारा की जायेगी तथा सरकार जब चाहे विद्यालय संस्था के वित्तीय एवं अकादमिक अनियमितताओं की जाँच करा सकेगी और जाँचोपरान्त अनुवर्ती कार्रवाई कर सकेगी ।

16. स्तद विषयक किसी प्रकार के न्यायिक मामलों का निपटारा माननीय झारखंड उच्च न्यायालय, राँची के क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत होगा ।

17. समय-समय पर लोकहित में सरकार द्वारा विद्यालय सम्बन्धन संबंधी जो निर्णय लिये जायेंगे उसका अनुपालन करना अनिवार्य होगा अन्यथा शर्त्तों का उल्लंघन मानते हुए अनापत्ति प्रमाण-पत्र वापस लेने के साथ-साथ अन्य कानूनी कार्रवाई भी की जा सकेगी ।

विश्वासभाजन

निदेशक,
प्राथमिक शिक्षा, झारखंड,
राँची ।

ज्ञापांक-3088/ राँची, दिनांक - 17.12.02/

प्रतिलिपि, संबंधित क्षेत्रीय उप शिक्षा निदेशक/संबंधित जिला शिक्षा पदाधिकारी/संबंधित विद्यालय के प्रधानाध्यापक को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित ।

निदेशक,
प्राथमिक शिक्षा, झारखंड,
राँची ।

ज्ञापांक-3089/ राँची, दिनांक - 17.12.02/

प्रतिलिपि, माननीय मंत्री, मानव संसाधन विकास विभाग, झारखंड के आप्त सचिव/सचिव, मानव संसाधन विकास विभाग, झारखंड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित ।

निदेशक,
प्राथमिक शिक्षा, झारखंड,
राँची ।

Sumita Sen.
PRINCIPAL
SACHIDANAND GYAN BHARTI
MODEL SCHOOL

Sachidanand Gyan Bharti Trust
Managing Trustee